

प्रेषक,

डॉ0 चन्द्र भूषण,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सड़क),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5

लखनऊ: दिनांक 16 सितम्बर, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-55, राजस्व लेखा के विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर व कन्नौज में विशेष मरम्मत के 02 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-203बीजीबी/112बीजीबी/अना0 भवनों का विशेष मरम्मत/उपयोगिता प्रमाण-पत्र/20-21, दिनांक 18-08-2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु उनके सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित कुल धनराशि **रु0 68.95 लाख(रु0 अरसठ लाख पनचानबे हजार मात्र)** अवमुक्त कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निगत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(धनराशि लाख रु0 में)						
1	15/2020/08आ0/23-5-20-6(भवन)/2018टीसी-1, दिनांक 02.03.2020	सर्किट हाउस सहारनपुर में सूट सं0-10, 11, 12, 13 की रिवायरिंग एवं मेन केबिल बदलने का कार्य।	09.57	00.13	09.44	09.44
2	तदैव	कार्यालय प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कन्नौज की विशेष मरम्मत का कार्य।	19.99	00.13	19.86	19.86
3	तदैव	कन्नौज में निरीक्षण भवन की विशेष मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य।	39.78	00.13	39.65	39.65
योग :-			69.34	00.39	68.95	68.95

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-053-रख-रखाव तथा मरम्मत-06-सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण-सामान्य एवं विशेष मरम्मत-00-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु स्तम्भ-2 में वर्णित शासनादेश की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा दी गयी अनापत्ति एवं वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-01/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

भवदीय,
डॉ0 चन्द्र भूषण
विशेष सचिव।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:-52/2020/213आ0(1)/23-5-2020-तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
 - 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
 - 3- मण्डलायुक्त सहारनपुर व कानपुर।
 - 4- जिलाधिकारी सहारनपुर व कन्नौज।
 - 5- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
 - 6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 8- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
 - 9- मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, कानपुर।
 - 10- मुख्य अभियन्ता(वि0/याँ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
 - 11- अधीक्षण अभियन्ता, 47वां(वि0/याँ0) वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।
 - 12- अधीक्षण अभियन्ता, कन्नौज-फर्रुखाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, कन्नौज।
 - 13- अधिशासी अभियन्ता, याँत्रिक खण्ड, लो0नि0वि0, सहारनपुर।
 - 14- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कन्नौज।
 - 15- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10
 - 16- श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।